BULANDSHAHR POLICE

दिनांक- 26 मई, 2025 **थाना साइबर क्राइम**

बंद खातो मे अपने मोबाइल नम्बर लगाकर धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 चैक बुक, 14 पास बुक, 07 एटीएमकार्ड, 01 मोबाइल, 01 सिम आदि बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 18.05.2025 को वादी श्री असलम निवासी देवीपुरा प्रथम शास्त्री पार्क थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर ने थाना साइबर क्राइम पर तहरीर दी कि वह वर्ष-2022 में चारपाई/फोल्डिंग बनाने का कार्य करता था तथा व्यवसाय के संचालन हेतु बंधन बैंक में उसने एक खाता खुलावाया था उसके बाद उसका काम बंद हो गया था तथा उसने दिनांक 31.12.2022 के बाद उसने बैंक खाते में कोई लेन देने नही किया था जिससे उसका बैंक खाता बंद हो गया था। दिनांक 21.04.2025 को कुछ अज्ञात व्यक्ति उनके घर पर आये कि तुम्हारे बैंक खाते से अवैध लेने देन किया गया है। इसके बाद उसने बैंक जाकर जानकारी की तो पाया कि उसके बैंक खाते में कोई अन्य मोबाइल नम्बर लगा हुआ है और उससे लेन देन किया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर मुअसं-15/25 धारा 318(4) बीएनएस व 66C,66D आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के निर्देशेन में व अपर पुलिस अधीक्षक अपराध के नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा की गयी जाँच/छानबीन व तकनीकि साक्ष्यों के आधार पर **अभियुक्तगण बलराम उर्फ बल्ले , अंकित शर्मा, जीतू उर्फ जितेन्द्र, शुभम कौशिक, नवल सैनी, डेविट गौतम व अनुज्ञय प्रताप सिंह का नाम प्रकाश में आया।** आज दिनांक 26.05.2025 को थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा प्रकाश मे आये अभियुक्तगण में 04 अभियुक्त बलराम उर्फ बल्ले, अंकित शर्मा, जीतू उर्फ जितेन्द्र व शुभम कौशिक को गिरफ्तार किया व उनके कब्जे से 20 चैक बुक, 14 पासबुक, 07 एटीएम कार्ड आदि बरामद की गयी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में साइबर क्राइम थाने पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा हैं।

उल्लेखनीय है कि बदमाश शातिर किस्म के अपराधी है जो बैंक कर्मचारियो से मिलकर ऐसे बैंक खातों की जानकारी करते जिनमे काफी समय से लेन देन न हुआ हो या खाता धारक कही बाहर चला गया हो या उसकी मृत्यू हो गयी हो अथवा अपना खाता बन्द कराने के लिए अपना लिखित प्रार्थना पत्र दिया हो। इसके उपरान्त ऐसे खातो में मोबाइल नम्बर बदलवाने तथा होल्ड तथा अनहोल्ड हटवाने के लिए स्वयं ही प्रार्थना पत्र लिखकर व बैंक फोर्म भरकर खुद ही के0वाई0सी0 व सिग्नेचर वैरिफाई करके बैंक मैनेजर से स्वीकृत करा लेते है और उसमें ट्रेडिंग के नाम पर भारी मात्रा में धोखाधडी करके धन मंगाकर अपने साथियो के खातो में धनराशि को ट्राँसफर करके निकाल लेते है। यद्यपि इन खातो पर विभिन्न राज्यों से शिकायते भी दर्ज होती है और संदिग्ध ट्रांजेक्शन की स्वतः जनरेट मेल भी होती है जिन्हें अनदेखा करते हुये उस मेल के प्रति-उत्तर में पोजिटिव उत्तर देकर बैंक सिस्टम को भी धोखा दे देते है। जब अभियुक्तगण को यह लगता है कि खाताधारक को खाता चलाने की आवश्यकता नही है तो उस खाते पर एटीएम तथा चैक बुक जारी करा लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा सम्बन्धित खाते से 1,95,53,570/- रुपये जमा कराने के बाद निकाले गये है। अभियुक्तगण द्वारा 11 राज्यों में अपना नेटवर्क फैला रखा था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. बलराम उर्फ बल्ले पुत्र मुनेशपाल सिंह निवासी ग्राम मेहमदपुर सरीका थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।
2. अंकित शर्मा पुत्र उमाशंकर शर्मा निवासी के0- 603 विश्व बैंक कालौनी बर्रा थाना बर्रा जनपद कानपुर नगर । हाल तैनाती ब्रांच मैनेजर उज्जीवन स्माल फाइनेंस दोराहा त्यौर बुजुर्ग जनपद बुलन्दशहर।
3. जीतू उर्फ जितेन्द्र कुमार पुत्र पप्पू सिंह निवासी गढिया मानपुर थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर ।
4. शुभम कौशिक पुत्र कन्छी लाल शर्मा निवासी ग्राम गिनौरा जनारदार थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

फरार अभियुक्तों का नाम पता-

1. नवल सैनी पुत्र रघुवीर सैनी निवासी चकरपुर-74 गुडगांव हरियाणा ।(हाल निवासी-जोखाबाद मंदिर के पीछे थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर)
2. डेविट गौतम पुत्र रुपचन्द निवासी मालागढ थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर।
3. अनुज्ञय प्रताप सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह निवासी महमदपुर थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर ।

बरामदगी का विवरणः-

1. 20 चैक बुक, 14 पास बुक, 07 एटीएमकार्ड, 01 मोबाइल, 01 सिम, Account opening Form-02, Mobile number Change Form-02, Account closure form request- 05, Pan Card Number Update Form -01, 03 स्टाम्प , 01 लूज चैक भरा हुआ

गिरफ्तार अभियुक्त बलराम का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-425/18 धारा 363,366,368,376-D भादवि व 5जी/6 पोक्सो एक्ट थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-15/25 धारा 318(4) बीएनएस व 66C,66D आईटी एक्ट थाना साइबर क्राइम जनपद बुलन्दशहर।

फरार अभियुक्त डेविट का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-220/21 धारा 147,148,149,307,323,452,504,506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-223/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-475/22 धारा 352,452,323,307,506 भादवि थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।
4. मुअसं-15/25 धारा 318(4) बीएनएस व 66C,66D आईटी एक्ट थाना साइबर क्राइम जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री रामखिलाड़ी यादव प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम
2. निरीक्षक श्री सलाउद्दीन, निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह
3. उ0नि0 श्री अफरोज खान,
4. कम्पयूटर आपरेटर प्रिन्श त्यागी
4. है0का0 प्रेम सिंह, का0 पंकज कुमार

मीडिया सेल, बुलंदशहर